न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी–श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 178/2023

प्रार्थी **बनाम** विप्रार्थीगण

प्रार्थी

1. करण चारण पुत्र मूलकरण जाति– चारण, निवासी सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

विप्रार्थीगण

1. शंकरलाल पुत्र सांवलाराम जाति कुम्हार निवासी चाडो की ढाणी
2. पेम्पकरण पुत्र मूलकरण जाति चारण, निवासी सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी
3. रमेश पुत्र मूलकरण जाति चारण निवासी 3बी/287 आदीपुर कच्छ, जिला भूज गुजरात
4. रतन पुत्र मूलकरण जाति चारण निवासी भारतनगर गाधीधाम 9एजी मकान न. 74 गांधीधाम गुजरात
5. सुआदेवी पत्नि बाबुलाल जाति सोनी निवासी सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी
6. वीरमाराम पुत्र खंगाराराम
7. धनाराम पुत्र खंगाराराम
8. जीयाराम पुत्र खंगाराराम
9. खरताराम पुत्र खंगाराराम
10. मीरोंदेवी पत्नि खंगाराराम
11. थानाराम पुत्र पेमाराम
12. गुमानसिंह पुत्र पेमाराम
13. पारूदेवी पत्नि पेमाराम
14. देवाराम पुत्र दूदाराम
15. हनुमानराम पुत्र जेठाराम
16. धनाराम पुत्र जेठाराम
17. [illegible]वलाराम पुत्र दुर्गाराम
18. [illegible]झाराम पुत्र दुर्गाराम
19. [illegible] पुत्र दुर्गाराम जातियान जाट निवासी सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी
20. तहसीलदार सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:48:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री पाबुराम बेनिवाल, प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 19.12.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी का खेत तहसील सिणधरी के पटवार हल्का सिणधरी के राजस्व ग्राम सिणधरी चारणान में खसरा संख्या 267 / 138 रकबा 2.5322 हैक्टेयर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत तहसील सिणधरी के पटवार हल्का सिणधरी के राजस्व ग्राम सिणधरी चारणान में खसरा संख्या 267 / 138 रकबा 02.5322 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी के पटवार हल्का सिणधरी के राजस्व ग्राम सिणधरी चारणान में खसरा संख्या 267 / 138 रकबा 2.5322 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा तहसील सिणधरी के पटवार हल्का सिणधरी के राजस्व ग्राम सिणधरी चारणान में खसरा संख्या 267 / 138 रकबा 2.5322 हैक्टेयर की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:48:08 IST
Reason: SelfAttested

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में

उपखण्ड अधिकारी

विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि तहसील सिणधरी के पटवार हल्का सिणधरी के राजस्व ग्राम सिणधरी चारणान में खसरा संख्या 267/138 रकबा 2.5322 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी के पटवार हल्का सिणधरी के राजस्व ग्राम सिणधरी चारणान में खसरा संख्या 267/138 रकबा 2.5322 हैक्टेयर के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/ प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 19.12.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.02.07 14:48:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी